महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव / प्रबंधक / प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध,
समस्त निजी क्षेत्र की संस्थाएं।

पत्रांकः–प्राशिप / परिषद / 2024 / 717 **लखनऊःदिनांक– 04/05/2024**

विषयः–एक स्टाफ एक ही संस्थान में पंजीकृत होने एवं कार्यरत् स्टाफ का वेतन का भुगतान ऑनलाइन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक यू–राईज पोर्टल के माध्यम से परिषद के संज्ञान में आया है कि आपके संस्थान में कार्यरत् शैक्षिक स्टाफ अन्य संस्थाओं में भी कार्यरत् हैं। शैक्षिक स्टाफ द्वारा समान (common) आधार नम्बर एवं पैन नम्बर यू–राईज पोर्टल पर **(सूची संलग्न)** भरा गया है, जिससे डुप्लीकेसी प्रदर्शित हो रही है।

समस्त संस्थाओं को परिषद कार्यालय के पत्र संख्या प्राशिप / परिषद / 2024 / 676 दिनांक 02–05–2024 द्वारा निर्देशित किया गया है कि संस्थान में कार्यरत् स्टाफ का डाटा यू–राईज पोर्टल पर अपलोड करते हुए डाटा अपडेट करें।

पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 08–05–2024 तक प्रत्येक दशा में यू–राईज पोर्टल पर अपने संस्थान में कार्यरत् शैक्षिक–शिक्षणेत्तर स्टाफ का डाटा अपडेट करें। डाटा अपडेशन में इस बात की विशेष सावधानी बरती जाए कि स्टाफ का आधार नम्बर, पैन नम्बर एवं उनका एकाण्ट नम्बर (जिस एकाउण्ट पर संस्था द्वारा सैलरी दी जाती है), का विवरण स्पष्ट और सही रूप से अंकित किया जाए।

यू–राईज पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में 90 प्रतिशत स्टाफ का एकाउण्ट नम्बर उपलब्ध नहीं है, जिससे प्रतीत होता है कि परिषद द्वारा दिये गये विभिन्न निर्देशों जिसमें यह कहा गया है कि समस्त स्टाफ के वेतन का ऑनलाइन भुगतान किया जाए, का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव महोदय द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि किसी एक संस्थान में कार्यरत् स्टाफ यदि दूसरे संस्थान में कार्यरत् पाये जाते हैं तो ऐसी दशा में संबंधित संस्थान एवं स्टाफ दोनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ प्रमुख सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि माह मई–2024 से समस्त स्टाफ के वेतन का भुगतान ऑनलाइन सुनिश्चित किया जाएगा एवं इसका प्रूफ / अभिलेख परिषद की ई0मेल0 आई0डी0 bteonlinepay@gmail.com पर प्रेषित किया जाएगा। यदि किसी संस्थान द्वारा उक्त कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाएगी तो ऐसी स्थिति में संबंधित संस्थान के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सत्र 2024–25 हेतु सम्बद्धता विस्तार परिषद द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0–प्राशिप / परिषद / 2024 / 718-20 **तद्दिनांक– 04/05/2024**

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
3. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र, बुन्देलखण्ड क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव